<u>न्यायालय- सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर</u> <u>जिला-बालाघाट, (म.प्र.)</u>

<u>आप.प्रक.क्रमांक—1023 / 2004</u> <u>संस्थित दिनांक—16.01.2003</u>

वन परिक्षेत्र अधिकारी, खापा बफरजोन, वन मण्डल कान्हा टायगर रिजर्व, मण्डला

_ _ _ _ _ _ _ <u>अभियोजन</u>

/ / <u>विरुद</u> / /

1— दुखीराम पिता चैतराम, उम्र—42 वर्ष, जाति महरा, निवासी—कोहका, थाना बैहर, तहसील बैहर, जिला बालाघाट(म.प्र.)

2— गेंदलाल पिता ब्रजलाल, उम्र—65 वर्ष, जाति गोंड, निवासी—कोहका, थाना बैहर, तहसील बैहर, जिला बालाघाट(म.प्र.)

3— सुकचैन पिता घुरका, उम्र—55 वर्ष, जाति झारिया, निवासी—कोहका, थाना बैहर, तहसील बैहर, जिला बालाघाट(म.प्र.)

4— रामसिंह पिता बक्सी, उम्र—48 वर्ष, जाति गोंड, निवासी—कोहका, थाना बैहर, तहसील बैहर, जिला बालाघाट(म.प्र.) — — — — — —

— — — आरोपीगण

// <u>निर्णय</u>// (<u>आज दिनांक-11/03/2015 को घोषित)</u>

- 1— आरोपीगण के विरुद्ध वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा— 9 सहपित धारा—51 एवं भारतीय वन अधिनियम की धारा—26 (ख) के अंतर्गत आरोप है कि उन्होंने दिनांक—29.05.2002 को बैहर परिसर के आरिक्षत कक्ष क्रमांक—51 प्रतिबंधित वन क्षेत्र के चट्टान की खोह में आग झोंककर वन का नुकसान कारित किया तथा आग के माध्यम से वन्य प्राणी खरगोश का शिकार करने का प्रयत्न किया।
- 2— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का परिवाद इस प्रकार है कि दिनांक—29.05. 2002 को बैहर परिसर के आरक्षित कक्ष क्रमांक—51 प्रतिबंधित वन क्षेत्र में परिवादी के अधिनस्थ कर्मचारी को जंगल गश्ती के दौरान आरोपीगण द्वारा मिलकर चट्टान की

खोह में आग लगाते हुए पकड़े जाने पर पूछताछ में उन्होंने बताया कि खरगोश का पीछा कर मांस खाने की गरज से जंगल में आग लगाई जा रही थी। आरोपीगण ने वन्य प्राणी खरगोश के शिकार करने का जुर्म स्वीकार करने के पश्चात् उनसे मौके पर अधजली लकड़ी के टुकड़े जप्त कर जप्तीपंचनामा तैयार किया गया। आरोपीगण के विरुद्ध पी.ओ.आर कमांक—70/11 काटा गया। आरोपीगण से जुर्म स्वीकार करने का पंचनामा तैयार कर विवेचना के उपरान्त आरोपीगण को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध धारा—9/51 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 एवं धारा—26 ख भारतीय वन अधिनियम के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध करते हुये परिवाद पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

- 3— आरोपीगण को वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा—9 सहपिटत धारा—51 एवं भारतीय वन अधिनियम की धारा—26 (ख) के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया है। आरोपीगण ने धारा—313 द.प्र.सं के प्रावधान अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं निर्दोष होना प्रकट कर प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया है।
- 4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:--
 - 1. क्या आरोपीगण ने दिनांक—29.05.2002 को बैहर परिसर के आरक्षित कक्ष कमांक—51 प्रतिबंधित वन क्षेत्र के चट्टान की खोह में आग झोंककर वन का नुकसान कारित किया ?
 - 2. क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक व स्थान में आग के माध्यम से वन्य प्राणी खरगोश का शिकार करने का प्रयत्न किया?

विचारणीय बिन्दुओं का सकारण निष्कर्ष :-

5— गणेशलाल (अ.सा.3) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक—29.05.02 को वनरक्षक के पद पर बीट गुदमा में पदस्थ था। उक्त दिनांक को गश्तीदल के साथ बीट बैहर का निरीक्षण कर रहा था, तो कक्ष क्रमांक—51 में आरोपीगण पत्थर की खोह में आग लगाकर खरगोश को निकालने का प्रयास कर रहे थे। उसने आरोपीगण से आग लगाने का कारण पूछा तो आरोपीगण ने खरगोश को निकालकर पका कर खाने हेतु आग लगाना बताया। उसने घटना का पंचनामा प्रदर्श पी—1 साक्षियों के समक्ष तैयार किया, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने आरोपीगण से घटनास्थल पर ही 3 साईकिल और लकड़ी का जलता हुआ टुकड़ा जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी—4 एवं प्रदर्श पी—5 के अनुसार जप्त किया, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने आरोपीगण के विरुद्ध पी.ओ.आर प्रदर्श पी—7 काटा, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके समक्ष आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी—8 तैयार किया था। उसने घटनास्थल का मौकानक्शा प्रदर्श पी—9 तैयार किया था, जिसके नीली स्याही से अंकित भाग को घटनास्थल के रूप में दर्शित किया गया है तथा उसने अपना बयान

प्रदर्श पी-10 दिया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

6— उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि उसने आरोपीगण को शिकार करते हुए नहीं देखा था और न ही घटनास्थल पर खरगोश को पाया था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने घटनास्थल पर किसी को आग लगाते हुए नहीं देखा था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने घटनास्थल का नक्शा प्रदर्श पी—9 अपने कार्यालय में आकर बनाया था। इस प्रकार साक्षी ने मात्र आरोपीगण के कथित पूछताछ के आधार पर उनके पंचनामा प्रदर्श पी—1 तैयार करने पर यह मामला तैयार किया जाना प्रकट किया है। मामले में आरोपीगण की कथित स्वीकारोक्ति के आधार पर पी.ओ.आर काटा जाना प्रकट होता है, जबिक जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी—4 एवं 5 में अधजली लकड़ी को मोंके पर जप्त किया जाने से यह तथ्य प्रमाणित नहीं माना जा सकता कि आरोपीगण ने ही उक्त अधजली लकड़ी को जलाने का प्रयास किया था। वास्तव में आरोपीगण को शिकार किये जाने का प्रयास करते हुए नहीं देखा जाना, कथित आग लगाते हुए भी न देखा जाना और मौके पर खरगोश का नहीं पाये जाने से आरोपीगण के विरुद्ध आरोपित अपराध के संबंध में कोई तथ्य प्रकट नहीं होता है। इस कारण साक्षी के द्वारा की गई कार्यवाही संदेहास्पद प्रकट होती है।

झगड़ (अ.सा.२) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वनविभाग वालों ने घटना के समय मुखबीर से सूचना के आधार पर रेंजर साहब, बीटगार्ड और अन्य श्रमिकगण के साथ वह घटनास्थल पर गया था, जहां से आरोपी दुखीराम के पास से एक बंद्क मिली थी। आरोपीगण ने कोटरी को मारा था। पंचनामा प्रदर्श पी-1, जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी-4 एवं 5 व उसके बयान प्रदर्श पी-6 पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि वह वन विभाग में चौकीदार के पद पर पदस्थ है। उसने दस्तोवजों पर अधिकारी के कहने पर हस्ताक्षर कार्यालय में किया था। साक्षी ने परिवादी के द्वारा प्रस्तुत परिवाद में प्रस्तुत तथ्यों से भिन्न तथ्यों को साक्ष्य में पेश किया है। साक्षी के अनुसार आरोपीगण के पास बंदूक मिली थी और उन्होंने कथित रूप से कोटरी का शिकार किया था, जबकि परिवादी के अनुसार आरोपीगण ने वन परिक्षेत्र में आग लगाकर कथित खरगोश का शिकार करने का प्रयास किया था। परिवाद में आरोपीगण के आधिपत्य से बंदूक जप्त किये जाने का तथ्य प्रकट नहीं है। इस प्रकार साक्षी के द्वारा परिवाद में प्रस्तुत तथ्यों से भिन्न नया तथ्य एवं कहानी प्रकट करते हुए साक्ष्य पेश की गई है। उक्त साक्षी विभागीय साक्षी होने के बावजूद भी परिवादी के मामले से भिन्न तथ्यों को पेश कर परिवादी का समर्थन नहीं करता है। इस कारण भी परिवादी का मामला पूर्णतः संदेहास्पद हो जाता है।

8— बिसनिसंह (अ.सा.1) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपीगण को नहीं पहचानता है। साक्षी ने पंचनामा प्रदर्श पी—1, जप्ती कार्यवाही, पी. ओ.आर. प्रदर्श पी—2 को उसके सामने काटे जाने से इंकार किया है। साक्षी ने उसके कथन से भी इंकार किया है। साक्षी ने जप्ती अधिकारी की कार्यवाही एवं अन्य कार्यवाही

से पूर्णतः इंकार करते हुए परिवादी का किसी भी प्रकार से अपनी साक्ष्य में समर्थन नहीं किया है।

9— परिक्षेत्र सहायक एच,डी. सार्वे (अ.सा.4) ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि उसे प्रकरण की जांच हेतु आदेश दिया गया था, जिस पर उसने विवेचना के दौरान साक्षीगण के कथन उनके बताए अनुसार लेख किया था। साक्षी ने मात्र साक्षीगण के कथन लेख किये जाने के संबंध में अपनी साक्ष्य पेश की है। यद्यपि जिन साक्षीगण के कथन साक्षी के द्वारा लेख किया जाना व्यक्त किया गया है, उनकी साक्ष्य से परिवादी का मामला संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है। ऐसी दशा में साक्षी की समर्थनकारी साक्ष्य का महत्व नहीं रह जाता है।

10— अभियोजन को अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करना होता है, जबिक बचाव पक्ष को अभियोजन मामलें में संदेह उत्पन्न करना होता है। इस मामले में अभियोजन की ओर से कई संदेहास्पद परिस्थितियां, विसंगति व परस्पर विरोधाभास है, जिन्हें अभियोजन ने साक्ष्य में दूर नहीं किया है। मामले में आरोपी के द्वारा कथित अपराध की संस्वीकृति को संदेह से परे अभियोजन ने प्रमाणित नहीं किया है। वैसे भी मात्र संस्वीकृति के आधार पर अन्य साक्ष्य के अभाव में अभियोजन का मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं माना जा सकता है। मामले में आरोपीगण को किसी भी व्यक्ति के द्वारा कथित रूप से जंगल में आग लगाते हुए तथा कथित खरगोश का शिकार करने का प्रयास करते हुए नहीं देखा गया है। परिवादी साक्षीगण की साक्ष्य से यह प्रकट नहीं होता कि वन परिक्षेत्र जंगल में आरोपीगण ने आग लगाने का प्रयास किया या कथित आग लगने से कोई नुकसानी कारित हुई है। इसके अलावा इस संबंध में भी किसी साक्षी ने अपने कथन में यह तथ्य प्रकट नहीं किया है कि आरोपीगण ने कथित रूप से वन्य प्राणी खरगोश का शिकार करने का प्रयास किया है। इस प्रकार अभियोजन का मामला युक्तियुक्त संदेह की परिधि में आता है, जिसका लाभ बचाव पक्ष को प्राप्त होता है।

11— उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य की विश्लेषण उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन ने अपना मामला युक्ति—युक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं किया है कि आरोपीगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान में बैहर परिसर के आरक्षित कक्ष कमांक—51 प्रतिबंधित वन क्षेत्र के चट्टान की खोह में आग झोंककर वन का नुकसान कारित किया तथा आग के माध्यम से वन्य प्राणी खरगोश का शिकार करने का प्रयत्न किया। अतएव आरोपीगण को वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा—9 सहपठित धारा—51 एवं भारतीय वन अधिनियम की धारा—26 (ख) के अपराध के अंतर्गत दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

12— आरोपीगण के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते है।

13— प्रकरण में आरोपीगण दिनांक—30.05.2002 से दिनांक 01.06.2002 तक न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध रहे हैं, जिसके संबंध में पृथक से धारा—428 द.प्र.सं. के तहत् प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

14— प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति तीन साईकिल सुर्पुदार दुखीराम, रामिसंह व सुकचैन को सुपुर्दनामा पर प्रदान की गई हैं, जो अपील अविध पश्चात् उनके पक्ष में निरस्त समझा जावें तथा शेष जप्तशुदा संपत्ति मूल्यहीन होने से नष्ट की जावे अथवा अपील होने की दशा में अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला–बालाघाट (सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला—बालाघाट